

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, भागलपुर।
equalitycon.div.bhagalpur@gmail.com


पत्रांक.....137...../भागलपुर, दिनांक.....24/04...../2026

भाड़े पर वाहन रखने हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या-01/2026-2027

गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, भागलपुर के अधीन योजनाओं के नमूना संग्रहण हेतु भाड़े पर (01) एक अद्द वाहन **Camper**/समतुल्य वाहन, (चालक सहित, ईंधन रहित) वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिकों/ वाहन आपूर्तिकर्ता से मुहरबंद लिफाफा में कोटेशन के शर्तों के साथ कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।


क्र० सं०	कार्यन्वित अवधि	अद्द	वाहन के प्रकार	अभियुक्ति
01	एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027 तक	01 अद्द	Camper /समतुल्य वाहन चालक सहित एवं ईंधन रहित	-

- कोटेशनदाता का पदनाम एवं पता:—कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, भागलपुर।
- कोटेशन आमंत्रण की तिथि:— दिनांक— 24.04.2026
- कोटेशन जमा करने की अवधि:—27.04.2026 से 16.05.2026 के अपराह्न 3 बजे तक।
- कोटेशन खोलने की तिथि समय :- 18.05.2026 को अपराह्न 4 बजे।
- कोटेशन खोलने की स्थान:— गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, भागलपुर।
- कार्य विवरण तथा नियम एवं शर्त:— अनुलग्नक के रूप में संलग्न।


कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)
प्रमंडल, भागलपुर।

कोटेशन पर वाहन रखने की शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. वर्तमान में दिनांक 31.03.2027 तक के लिए आपूर्ति वाहन का एकरारनामा रू0 1000.00 के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा जो वाहन मालिक/सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
2. भाड़े पर वाहन क्रमांक 01 पर अंकित अवधि तक के लिए लिया जायेगा।
3. वाहन का निबंधन बिहार राज्य में व्यासायिक वाहन के रूप में होना चाहिए।
4. वाहन का वैध निबंधन(वाणिज्य) वीमा, रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र एवं प्रदुषण प्रमाण पत्र परिचालन के दौरान अद्यतन होना चाहिए।
5. वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता का जी0 एस0 टी0 निबंधन होना अनिवार्य है।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है।
7. वाहन का दैनिक रख रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जाएगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जाएगा।
8. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक ही होगी।
9. वाहन की चोरी या दुर्घटना तथा अन्य क्षति होने पर चालक सहित वाहन की जिम्मेदारी वाहन मालिक/ वाहन आपूर्तिकर्ता की होगी।
10. वाहन के उपयोग के लिए लॉग बुक का संधारन वाहन मालिक की जवाबदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे जिसके आधार पर भाड़े का भुगतान किया जायेगा।
11. वाहन का चालक सहित (ईंधन रहित) दैनिक न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जाएगा और उन्हे वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा। सेवा संतोषजनक नही होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नही होने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।
12. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
13. उपर्युक्त अभिलेखों से संबंधित मुहरबंद लिफाफे के अतिरिक्त एक अन्य मुहरबंद लिफाफे में जल संसाधन विभाग के आदेश संख्या- 1/पी0एम0सी0/विविध/182/2024-142,पटना/दिनांक 10.02.2025 द्वारा वर्तमान में Camper या समतुल्य वाहन का ईंधन रहित चालक सहित (Non Ac)के लिए निर्धारित दैनिक किराया दर रू0 1100/- (एक हजार एक सौ रूपये) या उससे न्यून दैनिक दर अंक एवं शब्दों में अंकित करना अनिवार्य होगा, जो वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।
14. विभाग से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत ही कार्यालय द्वारा भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
15. वाहन का मॉडल 2018 से पहले का नही होना चाहिए तथा वाहन अच्छी स्थिति एवं कार्यरत अवस्था में होना चाहिए।
16. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा निजी अथवा अन्य व्यासायिक कार्यों में नही किया जायेगा।
17. वाहन का उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नही जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/ वाहन आपूर्तिकर्ता का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगे। अगर वे ऐसा नही करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान नही किया जायेगा।
18. सेवा असंतोषजनक रहने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नही रहने पर कार्यपालक अभियंता गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल भागलपुर को बिना कारण बताये एकरारनामा रद्द करने का अधिकार होगा।
19. ईच्छुक वाहन मालिक/ वाहन आपूर्तिकर्ता उक्त क्रमांक 01 से 18 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र पर एवं क्रमांक 03,04,05 एवं 06 संबंधित, कागजातों की सत्यापित प्रति के साथ कोटेशन दिनांक-27.04.2026 से 16.05.2026 के अपराहन 03 बजे तक समर्पित करेंगे जिसे दिनांक 18.05.2026 के 04 बजे अपराहन में कार्यापालक अभियंता, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, भागलपुर के कार्यालय में खोला जाएगा।
20. एक से अधिक समान न्यूनतम दर से कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जाएगा।
21. शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नही रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।
22. इसके अतिरिक्त कोई अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में सार्फक करके प्राप्त किया जा सकता है।


कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)
प्रमंडल, भागलपुर।

पत्रांक- 137 / भागलपुर

दिनांक- 24/04/2022

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) अंचल, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

80/-
कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)
प्रमंडल, भागलपुर।

पत्रांक- 137 / भागलपुर,

दिनांक- 24/04/2022

प्रतिलिपि:- सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु समर्पित किया जाता है।

24.04.2022
कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)
प्रमंडल, भागलपुर।